फार्म आदेशका

अनिता बनाम [illegible]

न्यायालय का नाम :— उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 92/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. [illegible] आदेशानुसार दिनांक 10/1/25 को पेश हो।
	10.1.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से Adv. कमल कुमार एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से Adv. वाजीद हुसैन द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की तलबी जारिए Reg. Ad. जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. का स्थानान्तरण हो गया ~~राजकार्य में व्यस्त है~~। अतः पुनः आदेशानुसार दिनांक 4/4/25 को पेश हो।
	28.3.25 उपस्थित पक्ष में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिये उपखण्ड अधिकारी वापस है। 28/3/25 (उपखण्ड अधिकारी)	अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब फरमाने एवं विड्रॉ किये जाने पेश करने पर पत्रावली आज दिनांक 28/3/25 को तलब की गयी। प्रकरण से संबंधित मूल वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. अनिलाइन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर फाइल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर